भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 335
12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: बागवानी फसलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र

***335. श्री जी. लक्ष्मीनारायणः**
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत बागवानी फसलों के लिए राज्य-वार, संघ राज्यक्षेत्र-वार और फसल-वार कितने उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई) की स्थापना की गई है;
(ख) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रशिक्षित किए गए किसानों और उत्पादकता में वृद्धि के संदर्भ में इन केन्द्रों के प्रमुख उद्देश्य, कार्यकलाप और परिणाम क्या रहे हैं;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान इन उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना और प्रचालन के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य में किन्हीं उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना की गई है/किए जाने का विचार है/आन्ध्र प्रदेश राज्य से कोई प्रस्ताव लंबित है और यदि हां, तो लक्षित फसलों, वर्तमान स्थिति और निधियों के उपयोग सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“बागवानी फसलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र” के संबंध में लोक सभा में दिनांक 12.08.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 335 के भाग (क) से (घ) तक के संबंध में उललिखित विवरण।

(क): देश के विभिन्न राज्यों में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत, कुल 58 उत्कृष्टता केंद्रों को अनुमोदन दिया गया है। दिनांक 31.07.2025 तक स्वीकृत उत्कृष्टता केंद्रों का राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**राज्य**	**उत्कृष्टता केंद्रों की संख्या**
1.	आंध्र प्रदेश	2
2.	असम	1
3.	बिहार	2
4.	गोवा	1
5.	गुजरात	4
6.	हरियाणा	6
7.	हिमाचल प्रदेश	1
8.	जम्मू एवं कश्मीर (यूटी)	2
9.	कर्नाटक	5
10.	केरल	1
11.	लद्दाख (यूटी)	1
12.	महाराष्ट्र	7
13.	मध्य प्रदेश	2
14.	मेघालय	1
15.	मिजोरम	1
16.	ओडिशा	1
17.	पंजाब	6
18.	राजस्थान	3
19.	तमिलनाडु	2
20.	तेलंगाना	1
21.	त्रिपुरा	2
22.	उत्तराखंड	1
23.	उत्तर प्रदेश	4
24.	पश्चिम बंगाल	1
	कुल	**58**

(ख): बागवानी क्षेत्र में क्षमता निर्माण, रोपण सामग्री के उत्पादन और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में प्रोत्साहन देने हेतु बागवानी उत्पादन में नवीनतम प्रौद्योगिकियों के डेमॉन्सट्रेशन, प्रशिक्षण और प्रसार के केंद्र के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से बागवानी क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना की गई है। उत्कृष्टता केंद्रों का प्राथमिक उद्देश्य प्रशिक्षण प्रदान करके किसानों, उद्यमियों और विस्तार कार्यकर्ताओं को ज्ञान और व्यावहारिक कौशल प्रदान करना है, जिससे संरक्षित खेती, सूक्ष्म सिंचाई और अन्य आधुनिक पद्धतियों को अपनाकर बागवानी क्षेत्र में उत्पादकता, गुणवत्ता और स्थिरता में वृद्धि हो सके। उत्कृष्टता केंद्र आधुनिक नवाचारों का प्रदर्शन और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करके, अनुसंधान और फील्ड लेवल एडॉप्शन के बीच के अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इन उत्कृष्टता केंद्रों की उपलब्धियों में राज्यों के 4.9 लाख से अधिक किसानों और 2,200 क्षेत्रीय अधिकारियों/विस्तार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण, खेत स्तर पर आधुनिक बागवानी प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सुविधा, लक्षित फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि में योगदान शामिल है।

(ग): एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत, उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) सहित विभिन्न परियोजना-आधारित कार्यकलापों हेतु फंड्स का आवंटन विभिन्न राज्यों से राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एसएलईसी) के माध्यम से प्राप्त उनकी अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के अनुसार, संसाधनों की उपलब्धता और राज्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसी प्रकार, फंड्स भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार किश्तों में जारी किया जाता है, जो बजट की उपलब्धता, वास्तविक और वित्तीय प्रगति के अनुपालन, और राज्यों द्वारा उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) और वास्तविक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है। विगत पाँच वर्षों के दौरान आवंटित और जारी किए गए फंड्स का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ): एमआईडीएच के अंतर्गत, इज़राइल के तकनीकी साझेदार के रूप में फूल एवं सब्ज़ियों तथा सब्ज़ियों एवं मसालों के लिए दो उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो क्रमशः चित्तूर के कुप्पम और पालनाडु ज़िले के गुंडलापल्ली में है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश से उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव इस विभाग के समक्ष लंबित नहीं है।

अनुबंध – I

विगत पांच वर्षों के दौरान एमआईडीएच (एनएचएम और एचएमएनईएच) के अंतर्गत फंड्स का आवंटन और रिलीज का राज्यवार विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
	क्रियान्वयन एजेंसी	आवंटन (भारत सरकार)	रिलीज (भारत सरकार)	आवंटन (भारत सरकार)	रिलीज (भारत सरकार)	आवंटन (भारत सरकार)	रिलीज (भारत सरकार)	आवंटन (भारत सरकार)	रिलीज (भारत सरकार)	आवंटन (भारत सरकार)	रिलीज (भारत सरकार)
1	आंध्र प्रदेश	120.00	95.00	108.00	50.00	100.00	50.00	63.90	24.00	65.00	51.13
2	अरुणाचल प्रदेश	22.00	8.00	17.60	4.40	18.24	9.00	37.30	37.30	30.00	30.00
3	असम	60.00	45.00	54.00	27.00	54.00	27.00	67.00	30.74	93.92	69.46
4	बिहार	25.00	15.87	20.00	9.60	20.00	15.00	15.00	14.06	40.00	40.00
5	छत्तीसगढ़	110.00	85.00	88.00	63.00	80.00	60.00	60.00	46.56	100.00	100.00
6	गोवा	3.00	0.00	2.40	0.60	2.40	0.60	2.30	0.58	4.00	3.25
7	गुजरात	110.00	30.00	88.00	87.18	82.00	20.50	95.00	95.00	70.00	35.00
8	हरियाणा	120.00	89.32	96.00	46.00	80.00	32.40	76.80	38.40	55.00	27.50
9	हिमाचल प्रदेश	55.00	20.00	44.00	11.00	35.00	17.50	16.00	7.95	30.00	12.75
10	जम्मू एवं कश्मीर	100.00	72.18	35.00	67.75	25.00	34.25	67.00	50.25	90.99	90.99
11	झारखंड	30.00	10.00	21.00	0.00	21.00	0.00	10.00	1.86	30.00	12.88
12	कर्नाटक	130.00	113.66	117.00	54.00	108.00	78.83	91.93	74.95	117.00	117.00
13	केरल	40.00	10.00	28.00	28.00	28.00	21.00	30.38	13.19	40.00	22.25
14	मध्य प्रदेश	65.00	27.00	52.00	0.00	45.00	22.00	30.00	17.35	60.00	59.96
15	महाराष्ट्र	130.00	63.50	91.00	18.63	84.00	63.00	81.64	61.23	80.00	80.00
16	मणिपुर	26.00	25.30	25.60	10.94	26.00	13.00	15.80	7.90	30.00	22.50
17	मेघालय	25.00	7.25	18.70	8.60	20.00	7.84	24.50	18.38	25.00	15.62
18	मिजोरम	40.00	40.00	32.00	6.75	32.00	15.99	39.50	29.63	53.16	18.75
19	नागालैंड	26.00	26.00	29.40	11.70	30.00	15.00	36.00	31.74	48.85	48.85
20	ओडिशा	67.00	11.00	46.90	11.00	41.00	20.50	55.13	33.68	45.00	15.30
21	पंजाब	47.00	22.50	32.90	8.22	31.10	15.55	29.86	22.40	40.00	25.00
22	राजस्थान	60.00	30.00	42.00	10.00	39.00	19.50	28.44	18.72	60.00	55.63
23	सिक्किम	25.00	19.85	22.50	10.93	22.50	16.87	32.65	29.06	46.06	42.05
24	तमिलनाडु	115.00	114.73	103.50	75.00	102.50	102.40	120.00	120.00	80.00	80.00
25	तेलंगाना	28.00	16.15	19.60	0.00	19.00	4.74	9.44	4.36	29.00	29.00
26	त्रिपुरा	26.00	10.00	20.20	9.00	21.00	14.77	19.43	18.94	30.00	18.75
27	उत्तर प्रदेश	80.00	64.16	64.00	32.00	60.00	44.64	68.50	68.50	80.00	70.00
28	उत्तराखंड	55.00	45.00	44.00	22.00	35.00	34.25	35.50	35.50	30.00	18.75
29	पश्चिम बंगाल	34.00	10.00	23.80	0.00	23.00	17.25	12.00	11.00	40.00	15.40
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3.00	0.30	2.10	0.53	2.10	0.53	3.00	0.75	3.00	0.75
31	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	दादरा एवं नागर हवेली	0.50	0.00	0.35	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
33	दमन और दीव	1.00	0.00	0.80	0.00						
34	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.40	0.00	0.50	0.00
35	लक्षद्वीप	0.50	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00
36	पुदुचेरी	3.00	1.40	2.10	0.00	1.50	0.70	2.00	1.00	1.25	0.94
37	लद्दाख	20.00	15.00	16.00	25.82	19.00	26.25	19.00	9.50	25.00	17.13
	कुल	**1802.00**	**1143.17**	**1408.85**	**709.65**	**1309.24**	**820.86**	**1296.80**	**974.46**	**1574.13**	**1246.59**

****